अध्याय-**14**

मानव तस्करी

मानव तस्करी एक ऐसा गंभीर अपराध है, जो बुनियादी मानवाधिकारों का पूरी तरह से उल्लंघन करता है। मानव तस्कर अक्सर नई नौकरी, बेहतर जीवन के झूठे वादे एवं परिवारों की मदद का झाँसा देकर लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। ऐसे वादे लोगों को सही तो लगते हैं, लेकिन यह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को शोषण का आसान शिकार बना देते हैं।

मानव तस्करी के खिलाफ कानून प्रवर्तन कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए, गृह मंत्रालय ने समय-समय पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सभी जिलों में मानव तस्करी रोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को निधि उपलब्ध करवाई है। उन्हें मानव तस्करी के मामलों की जांच करने और इनमें शामिल अपराधियों सहित, ऐसे मामलों पर डेटाबेस तैयार करने का काम सौंपा गया है। निर्भया फंड से 100 करोड़ रुपये, नए एएचटीयू की स्थापना और पहले से चल रहे एएचटीयू को मजबूत करने के लिए आबंटित किए गए हैं। राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार, अब तक 815 एएचटीयू कार्यरत हैं और 20 राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों ने सभी जिलों में एएचटीयू स्थापित करने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है (तालिका 14.8)।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने मानव तस्करों के मामलों पर वर्ष 2016 से देश भर में काम कर रही मानव तस्करी रोधी इकाइयों से आँकड़े एकत्र करना शुरू किया और तब से यह "मानव तस्करी" नामक अलग अध्याय के अंतर्गत इन आँकड़ों को प्रकाशित कर रहा है। राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार, 2023 के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के एएचटीयू द्वारा मानव तस्करी के 2,183 मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र (388 मामले), तेलंगाना (336 मामले), और ओडिशा (162 मामले) में दर्ज किए गए हैं।

एएचटी इकाइयों द्वारा अपने राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के माध्यम से निम्न तालिकाओं में समेकित डेटा प्रदान किया गया है। यह डेटा मानव तस्करी के केवल उन्हीं मामलों को चिह्नित करता है जो संबंधित एएचटीयू के संज्ञान में हैं। इसलिए, यही उचित होगा कि रिपोर्ट में कहीं भी मानव तस्करी के विभिन्न कानूनों/धाराओं के तहत दिए गए आँकड़ों के साथ इन आँकड़ों की तुलना न की जाए।